

6. Online guest lecture on " Legal Rights of Women" 3rd March 2021

अधिकारों की जानकारी महिलाओं को बनाती है सशक्त: शुचि शर्मा

शाह टाइम्स संवाददाता

मेरठ। अधिकारों को जानकारी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती है इसीलिए अपने अधिकारों की जानकारी करना बहुत आवश्यक है। संविधान में पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। जानकारी न होने के कारण महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। हम सशक्त बनकर ही समाज की सोच बदलने का काम कर सकते हैं। यह जानकारी मिशन शक्ति के तहत चौथरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार में मुख्य वक्ता विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने कही।

विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने संविधान में महिलाओं के मिले अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियां अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना को घरेलू हिंसा कानून के

अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं जिसमें वे रह रही हैं। घरेलू हिंसा में महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती है, इसके लिए वकील को लेकर जाना जरूरी नहीं है, अपनी समस्या के निदान के लिए पीड़ित महिला-वकील प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक को साथ ले जा सकती है और चाहे तो खुद ही अपना पक्ष रख सकती है। विशिष्ट अतिथि अतर्गत्रीय गीतकार मनोज कुमार मनोज ने एक शेर के साथ अपनी बात शुरू की उहोंने कहा कौन सी दुल्हनिया की बात करते हों तुम, डॉलियो को मिलके कहार लूटते रहे। दिन के उजेरे में वो खालब बांट-बांटकर, रात गये रूप का बाजार लूटते रहे। अंतर्गत्रीय परिदृश्य में भारतीय नारी विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा

कि भारतीय नारी को वैश्विक समानता के लिए अभी बहुत कुछ करना है। आज भी पर्दा प्रथा, दहज प्रथा और अशिक्षा भारतीय नारी को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। शिक्षा का प्रचार-प्रसार भारतीय नारी की दशा और दिशा सुधारने में सहायक होगा। हमें अभी बहुत कुछ करना है, संतुष्ट होकर नहीं बैठना है। प्रति कुलपति प्रो. वाई विमला ने कहा कि शिक्षा ही आपको आपके अधिकारों से पहचान दिला सकती है, महिलाओं को सशक्त बना सकती है।

कार्यक्रम की समन्वयक प्रो. बिन्दु शर्मा ने सभी स्वागत व धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि समाज की सोच बदलने के लिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत आवश्यक है। इसके महिलाओं को शिक्षित होने के साथ साथ संविधान में मिले अपने अधिकारों के विषय में भी जानना होगा।

अधिकारों की जानकारी महिलाओं को बनाती है सशक्त : शुचि शर्मा

मेरठ। अधिकारों को जानकारी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती है संविधान में पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। जानकारी न होने के कारण महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। हम सशक्त बनकर ही समाज की सोच बदलने का काम कर सकते हैं। यह जानकारी मिशन शक्ति के तहत चौथरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार में मुख्य वक्ता विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने कही।

हम सशक्त बनकर ही समाज की सोच बदलने का काम कर सकते हैं। यह जानकारी मिशन शक्ति के तहत चौथरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार में मुख्य वक्ता विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने कही।

अन्याय व प्रताड़ना को घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने अपने अधिकारों के विषय में भी जानना होगा।

DAILY

गुरुवार, 04 मार्च, 2021, मेरठ
घरेलू, अंक-202, रोज 4, मूल्य-₹ 1



दैनिक न्यूज फर्स्ट टुडे

www.newsfirsttoday.com email:nftoday2016@gmail.com

NEWS FIRST TODAY

अधिकारों की जानकारी महिलाओं को बनाती है सशक्त : शुचि शर्मा

- संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर है अधिकार
- सशक्त हो बदलनी होगी समाज की सोच



मेरठ (प्र)। अधिकारों को जानकारी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती है। इसीलिए अपने अधिकारों की जानकारी करना बहुत आवश्यक है। संविधान में पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। जानकारी न होने के कारण महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। हम सशक्त बनकर ही समाज की सोच बदलने का काम कर सकते हैं। यह जानकारी मिशन शक्ति के तहत चौथरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार में मुख्य वक्ता विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने कही।

विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने

संविधानमें महिलाओं के मिले अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियां अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना को घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं जिसमें वे रह रही हैं। घरेलू हिंसा में महिलाएं खुद पर हो रही हैं, इसके लिए वकील को लेकर जाना जरूरी नहीं है, अपनी समस्या के निदान के लिए पीड़ित महिला-

वकील प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक को साथ ले जा सकती है और चाहे तो खुद ही अपना पक्ष रख सकती है। विशिष्ट अतिथि अतर्गत्रीय गीतकार मनोज कुमार मनोज ने एक शेर के साथ अपनी बात शुरू की उहोंने कहा कौन सी दुल्हनिया की बात करते हों तुम, डॉलियो को मिलके कहार लूटते रहे। दिन के उजेरे में वो खालब बांट-बांटकर, रात गये रूप का बाजार लूटते रहे। अंतर्गत्रीय परिदृश्य में भारतीय नारी

विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय नारी को वैश्विक समानता के लिए अभी बहुत कुछ करना है। आज भी पर्दा प्रथा, दहज प्रथा और अशिक्षा भारतीय नारी को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। शिक्षा का प्रचार-प्रसार भारतीय नारी की दशा और दिशा सुधारने में सहायक होगा। हमें अभी बहुत कुछ करना है, संतुष्ट होकर नहीं बैठना है। प्रति कुलपति प्रो. वाई विमला ने कहा कि शिक्षा ही आपको आपके अधिकारों से पहचान दिला सकती है, महिलाओं को सशक्त बना सकती है। कार्यक्रम की समन्वयक प्रो. बिन्दु शर्मा ने सभी स्वागत व धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि समाज की सोच बदलने के लिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत आवश्यक है। इसके महिलाओं को शिक्षित होने के साथ साथ संविधान में मिले अपने अधिकारों के विषय में भी जानना होगा।

अधिकारों की जानकारी महिलाओं को बनाती है सशक्त

मेरठ: अधिकारों की जानकारी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती है। इसीलिए अपने अधिकारों की जानकारी करना बहुत आवश्यक है। संविधान में पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। जानकारी न होने के कारण महिलाएं शोषण का शिकाया होती हैं। हम सशक्त बनकर ही समाज की सोच बदलने का काम कर सकते हैं। यह जानकारी मिशन शक्ति के तहत चौथी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार में मुख्य वक्ता विशेष लोक अधिकारों ने कहा है। इस दौरान उन्होंने संविधान में महिलाओं के मिले अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियां अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताङ्कन को घेरेलू हिस्सा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में

रहने का अधिकार पा सकती हैं, जिसमें वे रह रही हैं। घेरेलू हिस्सा में महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती हैं। इसके लिए वकील को लेकर जाना जरूरी नहीं है अपनी समस्या के निदान के लिए पीड़ित महिला वकील प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक को साथ ले जा सकती है और चाहे तो खुद ही अपना पक्ष रख सकती है। अतरांश्वीय गीतकार मनोज कुमार मनोज ने एक शेर के साथ अपनी बात शुरू की उन्होंने कहा कौन सी दुल्हनिया की बात करते हो तुम, डोलियों को मिलके कहार लूटते रहे। दिन के उजेरे में वे खाल बांट-बांटकर, रात गये रूप का बाजार लूटते रहे। अंतरांश्वीय परिवहन में भारतीय नारी विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय

नारी को वैश्विक समानता के लिए अभी बहुत कुछ करना है। आज भी पर्दा प्रथा, दहे ज प्रथा और अशिक्षा भारतीय नारी को आगे बढ़ने से रोक रही है। शिक्षा का प्रचार-प्रसार भारतीय नारी की दशा और दिशा सुधारने में सहायक होगा। हमें अभी बहुत कुछ करना है ए संतुष्ट होकर नहीं बैठना है। प्रति कुलपति प्रो. वाई विमला ने कहा कि शिक्षा ही आपको आपके अधिकारों से पहचान दिला सकती है और महिलाओं को सशक्त बना सकती है। कार्यक्रम की समन्वयक प्रो. विन्दु शर्मा ने सभी का धन्यवाद जापित किया और कहा कि समाज की सोच बदलने के लिए महिलाओं का शिक्षित होने के साथ-साथ संविधान में मिले अपने अधिकारों के विषय में भी जानना होगा।

बराबर हैं अधिकार, शोषण न सहें

मिशन शक्ति के तहत कैंपस-कॉलेजों में हुए कई कार्यक्रम, महिलाओं को बताए अधिकार

माझे मिस्टी रिपोर्टर

मेरठ। मिशन शक्ति के तहत बुधवार को सीसोएसयू कैंपस और कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र-छात्राओं को जागरूक किया गया।

सीसोएसयू कैंपस में अधोनित वेबिनार में विशेष लोक अधिकारों ने कहा कि संविधान में पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए। जानकारी न होने के कारण महिलाएं शोषण का शिकायत होती हैं। हम सशक्त बनकर ही समाज की सोच बदलने का काम कर सकते हैं।

संविधान में महिलाओं के मिले अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि शादीशुदा या अविवाहित महिलाएं अपने साथ ही रहे अन्याय व प्रताङ्कन को घेरेलू हिस्सा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं, जिसमें वे रह रही हैं। घरेलू हिस्सा में महिलाएं खुद पर ही रहे अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती हैं, इसके लिए वकील को लेकर जाना जरूरी नहीं है।



मेरठ कॉलेज में दृश्यमान कैरियर प्रोफेशनलिंग में संविधान करती अतिथि और मौजूद छात्राएं। संकाय

विशेष अतिथि प्रसिद्ध गौतकार मनोज कुमार मनोज ने भारतीय नारी विषय पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय नारी को वैश्विक समानता के लिए अभी बहुत कुछ करना है।

आज भी यदों प्रधा, दहेज प्रधा और अशिक्षा भारतीय नारी को आगे बढ़ने से रोक रही है। प्रति कुलपति प्रो. वाई विमला ने कहा कि शिक्षा ही अपको आपके अधिकारों से पहचान दिला सकती है, महिलाओं को सशक्त बना सकती है। कार्यक्रम की समन्वयक प्रो. विन्दु शर्मा ने कहा कि कौनसी व्यायाम के लिए अनेक भागों के दृढ़ की फैसले सही कर सकते हैं, इनके बारे में जानकारी दी। रेलवे असिता ने छात्राओं को आत्मसुरक्षा करने के तरीके बताए। रेलवे लीडर डॉ. सुमन तथा वीडेक रेलवे लीडर डॉ. सुनीता मिश्व ने कार्यक्रम का संचालन किया। अधोनित ने केंद्र त्वारी, सिममन, चन्द्रीगढ़ आदि ट्रेसर्स ने सहभागिता की। प्राचार्य डॉ. दीप शिखा शर्मा ने उत्साह बढ़ाया।

छात्र-छात्राएं भी तनाव में, मन में है डर

गहीद ममल पाहें महाविद्यालय में डॉ. अनोदा मोरल ने कहा कि कोरोना व्यायरस के डर से पुरे दुनिया में फेरवतन हो रही है, जबकि परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं तथा बड़ी सख्त में मृत्यु भी हो रही है। ऐसे में छात्र-छात्राओं के मन में डर, चिंता, तनाव, असमजस, बवाहाट और बेवैज्ञानीकृती कई भविष्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अत्यवहता करते हुए प्राचार्य प्रो. दिनेश चंद ने कहा कि डॉ. लता कुमार, डॉ. अमर जयोति मौजूद रहीं।

आज का बुलेटिन

अधिकारों की जानकारी महिलाओं को बनाती है सशक्त-शुचि शर्मा

संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर है अधिकार

(आज का बुलेटिन)
दिनेश गोयल वाबा

अभियोजन शुचि शर्मा ने कही। साथ से जा सकती है और चाहे प्रचार-प्रसार भारतीय नारी को विशेष लोक अभियोजन तो खुद ही अपना पक्ष रख दशा और दिशा सुधारने में

पेरठ। अधिकारी को जानकारी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती है। इसलिए अपने अधिकारी को जानकारी करना बहुत आवश्यक है। सविधान में पुरुषों के बिवाह महिलाओं को अधिकार प्रदान किया गया है। जानकारी न होने के कारण महिलाएँ शोशण का शिकायत होती हैं। हम सबक बनार ही समझ की सोच बदलने का काम कर सकते हैं। यह जानकारी मिशन शक्ति के तहत चैरिटी चारिं शिख विश्वविद्यालय हारा आयोजित देविनार में मध्य बढ़ा विशेष लोक महिलाओं के मिले अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि जानेशुद्धि या अविवाहित दिव्यांगी अपने साथ हो रहे अवश्य व प्रताङ्गा को घेरू हिस्सा कानून के अंतर्गत दर्ज करकर उसी घर में रहने का अधिकार या सकती है जिसमें वे हर ही है। घेरू द्विस में महिलाएँ खुद पर हो रहे अव्याचरण के लिए सोधे न्यायालय से गुहर लगा सकती है, इनके लिए वकील को लेकर जाना चाही नही है, अपनी समस्या के निदान के लिए पीड़ित महिला- वकील प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक को कुछ करना है, संतुष्ट देवी द्वारा बीठाना है। प्री कुलपति प्रोफे वाई विमला ने कहा कि शिक्षा ही ही आपको आपके अधिकारों से परावान दिला सकती है, महिलाओं को सशक्त बनाने का सकती है। कार्यक्रम की समन्वयक प्रोफे विदु शमा ने सभी स्थानाव व धन्यवाद जापिय किया। कहा कि समाज की सोच बदलने के लिए महिलाओं का सशक्त होना का बहुत आवश्यक है। इसके महिलाओं को शिक्षित होने के साथ साथ सविधान में मिले अधिकारों के विषय में भी जानना होगा।

अधिकारों की जानकारी महिलाओं
को बनाती है सशक्त : शुचि शर्मा

□ संविधान में

महिलाओं को पुस्त्यों के बराबर है अधिकार, सशक्त हो बदलनी होगी समाज की सोच

● इंडिया फेम

मेरठ। अधिकारों को जानकारी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती है। इसीलिए अपने अधिकारों की जानकारी करना बहुत आवश्यक है। साविधान में पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। जानकारी न होने के कारण महिलाएं शोषण का विप्राणी होती हैं।

शकार हाता ह। हम सराक बनकर ही समाज की सोच बदलने का काम कर सकते हैं। यह जानकारी मिशन शक्ति के तहत चौथे चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार में मुख्य वक्ता विशेष लोक अधिकारी ने प्रस्तुत की।

विशेष लोक अभियोजन शुचि
शर्मा ने संविधान में महिलाओं के

रामा न सावित्रीन महाराजा के
मिले अधिकारों के बारे में बताते हुए
कहा कि शारीरशुदा या अविवाहित
स्त्रियां अपने साथ हो रहे अन्याय व

प्रताङ्गना को घरेलू हिस्सा कानून के अंतर्गत दर्ज करकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती है जिसमें वे रह रही है। घरेलू हिस्से में महिलाएं खुद पर आ रहे अल्याचार के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती हैं, इसके लिए वकील को लेकर जाना जरूरी नहीं है, अपनी समस्या के बिना के लिए प्रीविट महिलाएं

**शिक्षा ही दिला सकती
है अधिकारः विमला**

■ प्रति कुलपति प्रो. वाई विमला ने कहा कि शिक्षा ही आपको आपके अधिकारों से पहचान दिला सकती है, महिलाओं को सशक्त बना सकती है। कार्यक्रम की समन्वयक प्रो. बिन्दु शर्मा ने सभी स्वागत व धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि समाज की सोच बदलने के लिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत आवश्यक है। इसके महिलाओं को शिक्षित होने के साथ-साथ मिले आपने अधिकारों के विषय में भी जानना होगा।

वकील प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक को साथ ले जा सकती है और चाहे तो खुद ही अपना पक्ष रख सकती है।

वाशिं आताथ अतराट्राव नातकार
मनोज कुमार ने एक शेर के साथ
अपनी बात शरू की।

अतिरिक्तांक्य परिवर्तनमें भारतीय नारी विवाह पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय नारी को वैशिक समानता के लिए अभी बहुत कुछ करना है। आज भी पर्दा प्रथा, दृहेज प्रथा और अशिक्षा भारतीय नारी को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। शिक्षा का प्रचार-प्रसार भारतीय नारी की दशा और दिशा सुधारने में सहायक होगा। हमें अभी बहुत कुछ करना है, संतुष्ट होकर नहीं बैठना है।

अधिकारों की जानकारी महिला ओं को बनाती है सरकार : शुचि संविधान में महिला ओं को पुरुषों के बराबर है अधिकार

पेरठ (धारा न्यूज़)। अधिकारी को जानकारी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती है। इसीलिए अपने अधिकारों की जानकारी करना बहुत आवश्यक है। सविधान में पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। जानकारी न होने के कारण महिलाएं शोषण का शिकायत होती हैं। हम सशक्त बनकर ही समाज की सोच बदलने का काम कर सकते हैं। यह जानकारी मिशन शक्ति के तहत चांधीरी चरण सिंह विविद्वारा आयोजित वेबिनार में मुख्य वक्ता विशेष लोक अभियोजन शूचि शर्मा ने कही।

भारतीय नारी की दृष्टि सुधारने में सहायक है। वहुत कुछ करना हैं ऐसा बैठना है। प्रति कुल विमला ने कहा कि शिक्षा आपके अधिकारों से सकती है, महिलाओं का सकती है। कार्यक्रम पो बिन्दु शर्मा ने सभा धन्यवाद जापित कि समाज की सोच बदलना महिलाओं का सशक्त आवश्यक है। इनके प्रशिक्षित होने के साथ सभा अपने अधिकारों की जानना होगा।

। और दिशा
॥ । हमें अपी
छ होकर नहीं
ति प्रे, वाई
या ही आपको
हचान दिला
सशक बला
समन्वयक
स्वागत व
। कहा कि
ने के लिए
होना बहुत
हिलाओं को
र सविधान में
के विषय में

अधिकारों की जानकारी महिलाओं को बनाती है सशक्तः शुचि शर्मा

■ सशक्त हो बदलनी होगी समाज की सोच

मेरठ। अधिकारों को जानकारी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती है। इसीलिए अपने अधिकारों की जानकारी करना बहुत आवश्यक है। संविधान में पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। जानकारी न होने के कारण महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। हम सशक्त बनकर ही समाज की सोच बदलने का काम कर सकते हैं। यह जानकारी मिशन शक्ति के तहत चौथी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित

संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर है अधिकार

वेबिनार में मुख्य वक्ता विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने कही। विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने संविधान में महिलाओं के मिले अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियाँ अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताङ्गन को घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं जिसमें वे रह रही हैं। घरेलू हिंसा में महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती है, इसके लिए वकील को लेकर जाना जरूरी नहीं है, अपनी समस्या के निदान के लिए पीड़ित महिला- वकील प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में

से किसी एक को साथ ले जा सकती है और चाहे तो खुद ही अपना पक्ष रख सकती है। विशिष्ट अतिथि अंतर्राष्ट्रीय गीतकार मनोज कुमार मनोज ने एक शेर के साथ अपनी बात शुरू की उन्होंने कहा कौन सी दुल्हनिया की बात करते हो तुम, डोलियों को मिलके कहार लूटते रह।

दिन के उजेरे में वो खाब बाँट-बाँटकर, रात गये रूप का बाजार लूटते रहे। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय नारी विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय नारी को वैशिक समानता के लिए अभी बहुत कुछ करना है। आज भी पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा और अशिक्षा आयोजित होने के साथ साथ संविधान में मिले अपने अधिकारों के विषय में भी जानना होगा।

रही हैं। शिक्षा का प्रचार-प्रसार भारतीय नारी की दशा और दिशा सुधारने में सहायक होगा। हमें अभी बहुत कुछ करना है, संतुष्ट होकर नहीं बैठना है। प्रति कुलपति प्रो। वाई विमला ने कहा कि शिक्षा ही आपको आपके अधिकारों से पहचान दिला सकती है, महिलाओं को सशक्त बना सकती है। कार्यक्रम की समन्वयक प्रो। बिन्दु शर्मा ने सभी स्वागत व धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि समाज की सोच बदलने के लिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत आवश्यक है। इसके महिलाओं को शिक्षित होने के साथ साथ संविधान में मिले अपने अधिकारों के विषय में भी जानना होगा।

अधिकारों की जानकारी महिलाओं को बनाती है सशक्तः शुचि शर्मा

मेरठ। अधिकारों को जानकारी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती है। इसीलिए अपने अधिकारों की जानकारी करना बहुत आवश्यक है। संविधान में पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। जानकारी न होने के कारण महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। हम सशक्त बनकर ही समाज की सोच बदलने का काम कर सकते हैं। यह जानकारी मिशन शक्ति के तहत चौथी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार में मुख्य वक्ता विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने कही।

विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने संविधान में महिलाओं के मिले अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियाँ अपने

साथ हो रहे अन्याय व प्रताङ्गन को घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं

सकती है। विशिष्ट अतिथि अंतर्राष्ट्रीय गीतकार मनोज कुमार मनोज ने एक शेर के साथ अपनी बात शुरू की

अशिक्षा भारतीय नारी को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। शिक्षा का प्रचारणप्रसार भारतीय नारी की दशा और दिशा सुधारने में सहायक होगा। हमें अभी बहुत कुछ करना है और संतुष्ट होकर नहीं बैठना है। प्रति कुलपति प्रो। वाई विमला ने कहा कि शिक्षा ही आपको आपके अधिकारों से पहचान दिला सकती है, महिलाओं को सशक्त बना सकती है। कार्यक्रम की समन्वयक प्रो। बिन्दु शर्मा ने सभी स्वागत व धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि समाज की सोच बदलने के लिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत आवश्यक है। इसके महिलाओं को शिक्षित होने के साथ साथ संविधान में मिले अपने अधिकारों के विषय में भी जानना होगा।

- संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर है अधिकार

जिसमें वे रह रही हैं। घरेलू हिंसा में महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती हैं इसके लिए वकील को लेकर जाना जरूरी नहीं है अपनी समस्या के निदान के लिए पीड़ित महिलाण् वकील प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक को साथ ले जा सकती है और चाहे तो खुद ही अपना पक्ष रख

उन्होंने कहा कौन सी दुल्हनिया की बात करते हो तुम ए डोलियों को मिलके कहार लूटते रहे। दिन के उजेरे में वो खाब बाँट-बाँटकर रात गये रूप का बाजार लूटते रहे। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय नारी विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय नारी को वैशिक समानता के लिए अभी बहुत कुछ करना है। आज भी पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा और

अधिकारों की जानकारी महिलाओं को बनाती है सशक्त: शुचि शर्मा

(एप, एन, एप.)

मरण। अधिकारों को जानकारी महिलाओं को सशक्त बनाने का

□ सविधान में

महिलाओं को पुरुषों के बराबर है अधिकार

□ सशक्त हो बदलनी होगी समाज की सोच

काम करती है। इसीलिए, अपने अधिकारों को जानकारी करना बहुत आवश्यक है। सविधान में पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं।

जानकारी न होने के कारण महिलाएं अधिकार का लिकार होती हैं। इस सकूल बनने की समाज की सोच बदलने का काम कर सकते हैं। यह जानकारी पिछले शक्ति के तहत और धरो चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार में मुख्य बताका विशेष लोक अभियोजन तृतीय शर्मा ने कही।

विशेष लोकों अभियोजन तृतीय शर्मा ने सविधान में महिलाओं के मिले अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियों अपने साथ ही रहे अन्यथा वे प्रताङ्कन को घेरते हिस्सा कानून के अंतर्गत दब

कराकर उसी भर में रहने का रात गये रूप का बाजार बनते रहे। अधिकार पा सकती है जिसमें वे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय नारी रह रही है। भरती हिस्सा में महिलाएं विषय पर अपने विचार व्यक्त करते खुद पर हो रहे अल्पाचार के निए तृतीय जाहा कि भारतीय नारी को वैधिक सम्मानता के लिए अभी बहुत कुछ करना है। आज भी पर्याप्त प्रथा वहेज प्रथा और अविकाश भारतीय नारी को आगे बढ़ने से रोक रही है। शिक्षा का पृष्ठार - पृष्ठार भारतीय नारी की दणा और दिशा सुधारने में महायक

सीधे व्यापारिय से गुहार लगा होगा। हमें अपी बहुत कुछ करना सकती है, इसके लिए वकाले को ही, संतुष्ट होकर नहीं बढ़ना है। प्रति लेकर जाना जरूरी नहीं है, अपनी कूलपति प्रोड वाई विमला ने कहा समस्या के विद्युन के लिए पीड़ित कि शिक्षा ही आपकों आपके महिला-वकाल प्रोटेक्शन अधिकार और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी भी, महिलाओं को सशक्त बना एक को साथ ले जा सकती है और चाहे तो खुद ही अपना पक्ष रख सकती है। विशेष अतिथि उत्तरार्थी धन्यवाद द्वारा किया। कहा कि गीतकाल मनोज कुमार मनोज ने समाज की सोच बदलने के लिए एक शेर के साथ अपनी बात शुरू की तरहने कहा कौन सी दुलारिया अवश्यक है। इसके महिलाओं को जीवन के लिए अधिकारों को शिक्षित होने के साथ साथ मिलाके कहार लूटते रहे। दिन के सविधान में बिले अपने अधिकारों तबरे में ऊँगाब बैट-बैटकर के विषय में भी जानता होगा।



अधिकारों की जानकारी महिलाओं को बनाती है सशक्त: शुचि शर्मा

□ सविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर है अधिकार

□ सशक्त हो बदलनी होगी समाज की सोच

मरण समाज विशिष्टि

मरण। अधिकारों की जानकारी महिलाओं की सोच बदलने का काम करती है। इसीलिए, अपने अधिकारों की जानकारी करना बहुत आवश्यक है। सविधान में पुरुषों के साथ विकासी और अविवाहित, अवाहन किए गए हैं। जानकारी न होने के कारण महिलाएं लोक का लिकार होती हैं। इस सकूल बनना तो शादी की सोच बदलने का काम करता है। यह जानकारी विवरण जैसे के लाल नीरी चाल में विविधतावाच हात आवेदित विविधता में युवता बना परिवर्तन लोक अधिकारों



विवरण में भाग लेते हुए शिक्षा।

शुचि शर्मा के लिए जानकारी

तभी होती है जब वे लोकों का अधिकार का साक्षी हैं। जिसमें वे यह जाते हैं, परंपरा विवरण में अधिकारों के साथ ही सहायता हुई पर हो रहे कलनामा के, जिसमें लोके व्यवस्था से पुराना जानकारी का अधिकार विवरण लाये गये हैं। यहांके लिए लोके व्यवस्था से पुराना जानकारी का अधिकार विवरण लाये गये हैं।

उत्तरार्थी गोपनाता मनोज बुम्ता मनोज ने एक शेर के साथ अपनी जाती सुकूल की बहों का बाजार जानी चाही दूसरी बाजार का जानकारी होता है, लोकों की गिलास कला सुनते हो। यह के लिए ये जानकारी बहुत जानकारी है। यह यही रूप का कलाप सुनते हो। अतार्थी विवरण में भारतीय नारी विवरण द्वारा अपने जानकारी का जानकारी बहुत जानकारी है। यही जानकारी अपने जानकारी ने कल जैसे विवरण लोकों अपने अधिकारों से फोटो लिए गये हैं। महिलाओं को मनोज बहुत जानकारी है। जानकारी विवरण अपने जानकारी ने अपनाया लिए गये हैं।

महिला सशक्तिकरण से ही सामाजिक सोच में बदलाव संभव : शुचि

मेरठ (एसएनबी)। मिशन शक्ति के तहत चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय में बुधवार को आयोजित वेबिनार में विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने कहा कि अधिकारों को जानकारी महिलाओं को सशक्त बनाती है। इसीलिए महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी करना बहुत आवश्यक है। संविधान में पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। इनकी जानकारी के अभाव में महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। महिला सशक्तिकरण से ही समाज की सोच में बदलाव संभव है।

उन्होंने संविधान में महिलाओं के मिले अधिकारों का उल्लेख करते हुए कहा कि शादीशुदा महिला या युवतियाँ अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना को घेरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं जिसमें वह रह रही हैं। घेरेलू हिंसा में महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय से

गुहार लगा सकती हैं, इसके लिए वकील को लेकर जाना जरूरी नहीं है। गीतकार मनोज कुमार मनोज ने अपनी बात कुछ यूं बयां की-कौन सी दुल्हनिया की बात करते हो तुम, डोलियों को मिलके कहार लूटते रहे। दिन के उजाले में वो ख्वाब बांट-बांटकर, रात गये रूप का बाजार लूटते रहे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय नारी विषय पर कहा कि भारतीय नारी को वैश्विक समानता के लिए अभी बहुत कुछ करना है। आज भी पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा और अशिक्षा भारतीय नारी को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। शिक्षा का प्रचार-प्रसार भारतीय नारी की दशा और दिशा सुधारने में सहायक होगा। विवि की प्रति कुलपति प्रोफेसर वाई विमला ने कहा कि शिक्षा ही महिलाओं को उनके अधिकारों से पहचान दिला सकती है, महिलाओं को सशक्त बना सकती है। कार्यक्रम की समन्वयक प्रोफेसर विन्दु शर्मा ने कहा कि समाज की सोच बदलने के लिए महिलाओं का सशक्त होना जरूरी है।

वेबिनार सशक्त होकर बदलनी होगी समाज की सोच

अधिकारों की जानकारी बनाती है सशक्त: शुचि

ग्रीन इंडिया

मेरठ। अधिकारों को जानकारी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती है। इसीलिए अपने अधिकारों की जानकारी करना बहुत आवश्यक है। संविधान में पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं।

जानकारी न होने के कारण महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। हम सशक्त बनकर ही समाज की सोच बदलने का काम कर सकते हैं। यह जानकारी मिशन शक्ति के तहत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार में मुख्य वक्ता विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने कही।

विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने संविधान में महिलाओं के मिले अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियाँ अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना को घेरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर



संबोधन

- संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार

उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं जिसमें वे रह रही हैं। घेरेलू हिंसा में महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती हैं इसके लिए वकील को लेकर जाना जरूरी नहीं है, अपनी समस्या के निदान के लिए पीड़ित महिला, वकील प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक को साथ ले जा सकती है और चाहे तो खुद ही अपना

पक्ष रख सकती है। विशिष्ट अतिथि अंतर्राष्ट्रीय गीतकार मनोज कुमार ने एक शेर के साथ अपनी बात शुरू की।

उन्होंने कहा कौन सी दुल्हनिया की बात करते हो तुम ए डोलियों को मिलके कहार लूटते रहे। दिन के उजेरे में वो ख्वाब बांट-बांटकर रात गये रूप का बाजार लूटते रहे। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय नारी विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय नारी को वैश्विक समानता के लिए अभी बहुत कुछ करना है। आज भी पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा और अशिक्षा भारतीय नारी को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। हमें अभी बहुत कुछ करना है, संतुष्ट होकर नहीं बैठना है। प्रति कुलपति प्रो. वाई विमला ने कहा कि शिक्षा ही आपको आपके अधिकारों से पहचान दिला सकती है, महिलाओं को सशक्त बना सकती है। कार्यक्रम की समन्वयक प्रो. विन्दु शर्मा ने सभी स्वागत व धन्यवाद ज्ञापित किया।

संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर है अधिकारःशुचि शर्मा

दिव्य विश्वास, संवाददाता

मेरठ । अधिकारों की जानकारी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती है। इसीलिए अपने अधिकारों की जानकारी करना बहुत आवश्यक है। संविधान में पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। जानकारी न होने के कारण महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। हम सशक्त बनकर ही समाज की सोच बदलने का काम कर सकते हैं। यह जानकारी मिशन शक्ति के तहत चौथी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार में मुख्य वक्ता विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने कही। विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने संविधान में महिलाओं के मिले अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियां अपने साथ ही रहे अन्याय व प्रताङ्गना को घरेलू हिंस का नुस्खा के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं, जिसमें वे रह रही हैं। घरेलू हिंसा में महिलाएं खुद पर हो रहे

अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती है, इसके लिए वकील को लेकर जाना जरुरी नहीं है। अपनी समस्या के निदान के लिए पीड़ित महिला- वकील प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक को साथ ले जा सकती है और चाहे तो खुद ही अपना पक्ष रख सकती है। विशिष्ट अतिथि अंतर्राष्ट्रीय गीतकार मनोज कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय नारी विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय नारी को वैश्विक समानता के लिए अभी बहुत कुछ करना है। आज भी पदा प्रथा, दहज प्रथा और अशिक्षा भारतीय नारी को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। शिक्षा का प्रचार-प्रसार भारतीय नारी की दशा और दिशा सुधारने में सहायक होगा। हमें अभी बहुत कुछ करना है, संतुष्ट होकर नहीं बैठना है। प्रति कुलपति प्रो. वाई विमला ने कहा कि शिक्षा ही आपके अपके अधिकारों से पहचान दिलासकती है, महिलाओं को सशक्त बना सकती है।